IX(a)-BR(H)misc, 2.69. 1198 कार्यालय आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर क्रमांक/ 11 र 15-कोर्ट/98 इनोर, दिनांक: 29.15 98 (जा क्योंना सीचव, राजस्व मण्डल. मन्त्र- खालियर ES विषय : क्लेक्टर, अरगीन के अपोल प्रकरण क्रमांक 23/अ-23/90-9। में पारित अदिश दिनांक 30 मार्च 91 के, वनी वलोकन खाबद । सन्दर्भ : क्लेक्टर, जिला बड़वानी को और से प्राप्त पत्र क्र मांक 693 दिनांक 21-10-98. उपरोक्त विषय से संबंधित क्लेक्टर, जिला बड़वानी से प्राप्त संदर्भित पत्र एवं प्रकरण क्रमांक रिन्यू प्रक 64/ब-23/98-99 आपकी और पत्र के संलम्न कोषित किया जा रहा है। क्लेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा संदर्भित पत्र में उल्लेखित रिधित को देखते हुए प्रकरण में क्लेक्टर, जिला सरगोन द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/ब-23/90-9। में पारित आदेश को भ-राजस्व संहिता की धारा-50 के अंतर्गत स्वमेव निगराना में लंकर उचित आदेश पारित किया हेत सहिता की धारा 5। के अंतर्गत अपरण पुन्त क्लोंका का अनुमति प्रदान कर अवगत कराने का कष्ट करें। इन्दोर लंभाग, इन संतम: 1. д. ф. 64/4-23/98-99 शक्लेव्टर बड़वानी**श** 2. A.A. 7/4-23/88-69 श्वनिकागीय अधिकारी बड़वानी? राजस्य मण्डल वोहान27 498

3.8.2015

अविद्यं की और हे भी ह्या के ज्यूपक के ज्यूपक उपिया । उसके तर्क खरे अपे विद्या प्रकाल के ज्यूपका देश प्रकाल के ज्यूपका देश प्रकाल के ज्यूपका के जिसे के के ज्यूपका के जिसे क

HKARAY 6-8-7013 UKKARAI